पूरक पत्रक · स्लाइडों के साथ पढ़ने के लिए

प्रत्याशी प्रबोधन: पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य

सावधान: अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।

यह डेक कैसे पढ़ें

- हर बात के आगे उसकी किताब या आदेश और पेज लिखा है। कोई बात साफ़ न हो, तो अपने रिटर्निंग अधिकारी से पूछ लीजिए।
- डेक की PDF में संदर्भ पर क्लिक करें, तो वह आदेश या पुस्तक उसी पेज पर खुलती है। जिस आदेश की प्रति ऑनलाइन नहीं रखी है, उसका लिंक नहीं है।
- भरे हुए नमूना प्ररूप प्रशिक्षण के लिए हैं; नियम या आदेश से कुछ अलग दिखे, तो नियम और आदेश ही मान्य।
- अंतिम बात आयोग के आदेशों और नियमों की है। कोई संशय हो, तो अपने रिटर्निंग अधिकारी से पूछिए।

स्लाइड के साथ पूरक बातें

स्लाइड 4: आयोग के आदेश में पंचायत समिति की तारीखें

- चित्र में तालिका आदेश के पेज 7 से पेज 8 पर जाती है; बीच की टूटी लाइन पर पेज बदलता है। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8]

स्लाइड 6: आयोग के पत्र में ज़िला परिषद का बदला कार्यक्रम

- चित्र में आख़िरी पंक्ति (चुनाव चिह्न) पत्र के अगले पेज पर है; बीच की टूटी लाइन पर पेज बदलता है। [आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 3]

स्लाइड 26: शपथ पत्र उपाबन्ध-I A: खाली और भरा हुआ नमूना

- भरे हुए नमूने में मोबाइल नंबर हमने हटा दिया है।

स्लाइड 33: जमानत कब लौटेगी, कब जब्त होगी

- आवेदन लेने वाले की जगह आदेश में "रिटर्निंग अधिकारी पंचायत (उपखण्ड अधिकारी)/रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद् (जिला कलक्टर)" लिखा है। [परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 402]

स्लाइड 59: रिटर्निंग अधिकारी से क्या पूछें

- प्रस्तावक वाला सवाल इसलिए: आयोग की दोनों मार्गदर्शिकाओं और संकलन में यह नियम हमें नहीं मिला।